मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक/एफ 27–75/20–2/09 भोपाल,दिनांक 23.09.2009

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश,
भोपाल ।

विषयः– खेलकूद गतिविधियों के संबंध में राज्यस्तरीय कोर कमेटी की अनुशंसाओं पर कार्यवाही ।

––00––

शालेय खेलकूद गतिविधियों के संचालन के पुर्ननिर्धारण एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु गठित राज्यस्तरीय कोर कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निम्नांकित स्वीकृतियां प्रदान की जाती है :–

1/ शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में शालेय दलों के साथ जाने वाले आफिशियल्स के यात्रा व्यय हेतु यात्रा व्यय मद में स्वीकृत बजट प्रावधान से 50 हजार रूपये प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को बजट आवंटन प्रदान करें ।

2/ स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाडियों हेतु दैनिक भत्ते एवं गणवेश की दरों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–

दैनिक भत्ते की निर्धारित दरें

स0क्र0	प्रतियोगिता आयोजन का स्तर	दैनिक भत्ते की दर
1	जिला एवं संभाग स्तर	60 रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से
2	राज्य स्तर	75 रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से
3	प्री–नेशनल कोचिंग केम्प	100 रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से
4	राष्ट्रीय प्रतियागिता हेतु यात्रा के दौरान	100 रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से

गणवेश हेतु निर्धारित दर

स0क्र0	प्रतियोगिता आयोजन का स्तर	गणवेश की दर
1	जिला एवं संभाग स्तर	300 रूपये प्रतिछात्र की दर से
2	राज्य स्तर	350 रूपये प्रतिछात्र की दर से
3	राष्ट्रीय स्तर	900 रूपये प्रतिछात्र की दर से

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व में प्रचलित शेष दरें एवं आवास तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्था हेतु दरें यथावत् लागू रहेगी ।

3/ प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत छात्रों से हाईस्कूल में 03 रूपये तथा हायर सेकेण्डरी में 05 रूपये प्रतिछात्र प्रतिमाह की दर से क्रीडा शुल्क की राशि ली जा रही है उक्त राशि के उपयोग हेतु इसका वर्गीकरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

अ- शाला में एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 45 प्रतिशत अंशदान राशि शालाओं में नियमित खेलकूद गतिविधियों के संचालन, आवश्यकतानुसार खेल सामग्री के क्रय तथा खेल मैदान के रख रखाव आदि पर व्यय की जाए ।

ब- शालाओं में एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 40 प्रतिशत अंशदान राशि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु भेजी जाए ।

स- शालाओं में एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 15 प्रतिशत अंशदान राशि संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु भेजी जाए ।

4/ शासकीय तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी में स्वीकृत नियमित व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति होने तक अतिथि शारीरिक शिक्षा शिक्षक रखने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

5/ स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की भोजन व्यवस्था हेतु 60 रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से राशि का निर्धारण किया जाता है ।

उक्त व्यय शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की भोजन व्यवस्था हेतु राशि बजट शीर्ष मांग संख्या 2204 (3782) आवासीय खेलकूद स्कूल 22 कार्यालय व्यय 003 फर्नीचर एवं उपकरण- 34 सामग्री पूर्तियां 009 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

6/ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत व्यायाम शिक्षक के पदों की आवश्यकतानुसार युक्तियुक्तकरण किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है । युक्ति युक्त करण की कार्यवाही प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार की जाए ।

7/ राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में शालेय दलों के साथ जाने वाले दल प्रबंधक एवं अन्य आफिशियल्स को खेल गतिविधियों हेतु निर्धारित बजट राशि से छात्रों को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते एवं रेल कन्सेशन अनुसार रेल किराया भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

उपरोक्तानुसार खेलकूद गतिविधियों के आयोजन हेतु व्यय लोक शिक्षण के बजट शीर्ष मांग संख्या–77 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोडकर) 2204 खेल एवं युवा सेवायें (800) अन्य व्यय सामान्य (1084) खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय आयोजनेत्तर 51–अन्य प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता0 / –
(एस.एन. शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / एफ 27–75 / 20–2 / 09 भोपाल,दिनांक 23.09.2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार,मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता0 / –
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / शा0शि0 / ए / 01 / 2009 / 574 भोपाल,दिनांक 30/9/09

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. महालेखाकार,मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय,शिवपुरी ।
8. प्राचार्य, शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आलोक खरे)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश